21.7.2020– कोरोना महामारी के कारण वकील अपीलान्ट की प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई । वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। दोनों पक्ष प्रकरण में बहस करना चाहते हैं। अतः पत्रावली में दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में कोई अनियमितताऐं नहीं बरती है । इससे पूर्व अपीलान्ट के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं हुई है। अपीलान्ट नियमानुसार एंव विधिवत रूप से राशन का वितरण उपभोक्ताओं को करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने गलत तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.4.2020 निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बन से बहाल किया जावे ।

रेसपोडेण्ट ने विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने का आदेश आर्डरशीट दिनांक 22.4.2020 को श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा दिया गया है जिसकी पालना में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.4.2020 को निलम्बन आदेश जारी किये गये है। इससे स्पष्ट है कि आदेश जिला कलक्टर धौलपुर के ही है। कोई भी अधिकारी अपने ही आदेश की अपील सुनने के लिए सक्षम नहीं है। जिसके लिए अपीलान्ट को जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय में दायर करनी चाहिए थी। यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, उक्त अपील को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे ।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निलम्बन करने के आदेश आर्डरशीट पर दिनांक 22.4.2020 को हमारे द्वारा ही दिये गये हैं हमारे आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.4.2020 को निलम्बन आदेश जारी किये है। " राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 की धारा 22उप धारा (1) (ख) में वर्णित किया गया है कि –" यदि आदेश जिला कलक्टर द्वारा किया गया है तो अपील आयुक्त को कर सकेगा । इस प्रकार इस न्यायालय को यह अपील सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम अपील अपीलान्ट

को वापिस कर यह निर्देश दिया जाना उचित समझते हैं कि वह उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः अपील अपीलान्ट को वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । अपीलान्ट उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र है। प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ सलंग्न दस्तावेजों की छाया प्रति न्यायालय के रिकोर्ड में रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.7.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर